

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठारीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर०ए०ए०ए० )

वाद सं० : 550 सन 2022

अनवान :-

1. देवीलाल गोदारा पुत्र हेतराम गोदारा जाति जाट साकिन फोफाना तहरील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहरीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी  
निर्णय दिनांक :- 21/07/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आश्रय का पेश किया की वादी के नाम रोही मौजा चक 7 केएनएन के खाता संख्या 39/39 की कुल 2.2770 हैक्ठूम भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि में वादी का नाम देवीलाल पुत्र हेतराम दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम देवीलाल गोदारा पुत्र हेतराम गोदारा है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम देवीलाल गोदारा पुत्र हेतराम गोदारा है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र, भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का नाम देवीलाल गोदारा पुत्र हेतराम गोदारा दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम देवीलाल पुत्र हेतराम दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी, खाद बीज का ऋण, मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नहीं है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

अतः वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाकर देवीलाल पुत्र हेतराम के स्थान पर देवीलाल गोदारा पुत्र हेतराम गोदारा संशोधन करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पेशकार राज उपस्थित होकर निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सयुक्तों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे जयाव शामिल मिलस किया गया। उभयपक्षों की बहस सुनी।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के नाम रोही मौजा चक 7 केएनएन के खाता संख्या 39/39 की कुल 2.2770 हैक्ठूम भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि में वादी का नाम देवीलाल पुत्र हेतराम दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम देवीलाल गोदारा पुत्र हेतराम गोदारा है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम देवीलाल गोदारा पुत्र हेतराम गोदारा है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र, भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का नाम देवीलाल गोदारा पुत्र हेतराम गोदारा दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम देवीलाल पुत्र हेतराम दर्ज किया गया है जो गलत है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ़)

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केंरीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नहीं है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है वादी का वाद डिक्री फरमावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार की रोही मौजा चक 7 केएनएन के खाता संख्या 39/39 की कुल 2.2770हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी का कथन है कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय देवीलाल गोदारा पुत्र हेतराम गोदारा के स्थान पर देवीलाल पुत्र हेतराम दर्ज किया गया है सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते हैं।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के मतदाता पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, दस्तावेजात सभी में वादी का नाम देवीलाल गोदारा पुत्र हेतराम गोदारा दर्ज है। वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से वादी का नाम देवीलाल गोदारा पुत्र हेतराम गोदारा होना प्रतित होता है प्रस्तुत दस्तावेजात / शपथ पत्र के आधार पर वादी का नाम संशोधन किया जा सकता है।

वादी के राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात में वादी के नामों में भिन्नता है तहसीलदार राजस्व नोहर के अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है साथ ही यदि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नहीं होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात , शपथ पत्र / पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज पेश होने के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूत / वादी के शपथ पत्र / पेरोकार राज को किसी प्रकार को ऐतराज नहीं होने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 केएनएन के खाता संख्या 39/39 की कुल 2.2770हैक भूमि में वादी का नाम देवीलाल पुत्र हेतराम अंकित है के स्थान पर देवीलाल गोदारा पुत्र हेतराम गोदारा संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिराल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21/07/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

  
उपरखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हुनुमानगढ़ )  
नोहर ( हुनुमानगढ़ )

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाबता दिवानी )

### न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :- सुश्री श्वेता कोचर ( आट.ए.एस )

अगवान :-

1. देवीलाल गोदारा पुत्र हेतराम गोदारा जाति जाट राकिन फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

- 1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 550 सन 2022 निर्णय दिनांक-21/07/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के रामक्ष अधिवक्ता वादीयागण एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 केएनएन के खाता संख्या 39/39 की कुल 2.2770 हेक्ठर भूमि में वादी का नाम देवीलाल पुत्र हेतराम अंकित है के स्थान पर देवीलाल गोदारा पुत्र हेतराम गोदारा संशोधन किया जाता है इसी अनुरार राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/07/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ़)